न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक : 09.01.2019

अपील संख्या 2019/00038

उनवान

1– पांचू लाल पुत्र रामनारायण, जाति मेघवाल (मृतक) कायम मुकामान –
1/1– हरिओम पुत्र स्व0 पांचू लाल, जाति मेघवाल
1/2– बृजेशबाई पत्नी स्व0 पाचू लाल, जाति मेघवाल
निवासीगण बडा, तहसील बारा, जिला बारां राजस्थान .... अपीलांट

बनाम

1– मदनलाल पुत्र माधोलाल, जाति हरिजन, निवासी बडा, तहसील बारा, जिला बारां राजस्थान
2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां
3– महेन्द्र कुमार मेघवाल पुत्र रामदयाल, जाति मेघवाल, निवासी मेघवाल मोहल्ला, आजादपुरा खेडली भेडोलिया, तहसील बारां, जिला बारां राजस्थान .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री ओ. पी. मेहता ।। अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री कृष्णकांत शर्मा व श्री अनुप कुमार मेघवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 19.06.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 153/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एल0 आर0 एक्ट पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम बडां, तहसील बारां के माल में सम्वत 2033–2036 की जमाबंदी में आराजी खसरा नं. 1018 रकबा 21 बीघा 1 बिस्वा सिवायचक लगानी 29.47 रूपया माल द्वितीय दर्ज थी, इस आराजी में से 11 बीघा 1 बिस्वा आराजी वादी को तथा 10 बीघा आराजी प्रतिवादी पांचूलाल को आवंटित कर मौके पर कब्जा संभलाया। वादी को आवंटित आराजी पर वादी को तथा प्रतिवादी कम 2 को आवंटित आराजी पर प्रतिवादी कम 2 को खातेदारी अधिकार दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.2018 से वादी का वाद स्वीकार कर वादी मदनलाल के खाते की आराजी ग्राम बडां, तहसील बारां खसरा नं. 1315 रकबा 1.39 हेक्टर के स्थान पर 1.77 हेक्टर दर्ज करने व प्रतिवादी कम 2 पांचू के खाते में खसरा नं. 1314 रकबा 1.64 हेक्टर के स्थान पर 1.60 हेक्टर तथा खसरा नं. 48 रकबा 0.67 हेक्टर के स्थान पर 0.33 हेक्टर दर्ज कर सैटलमेंट द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि ग्राम बडां, तहसील बारां के माल में सम्वत 2033–2036 की जमाबंदी में आराजी खसरा नं. 1018 रकबा 21 बीघा 1 बिस्वा सिवायचक में से 1.64 हेक्टर आराजी का अपीलांट को आवंटित कर मौके पर कब्जा संभलाया था तथा उक्त आराजी का संवत 2033–36 में अपीलांट के हक में पट्टा जारी किया गया तथा गैर खातेदारी से खातेदारी प्रदान की गई एवं अपीलांट उक्त आवंटन दिवस से लगातार आज तक उक्त आवंटित आराजी खसरा नं. 1314 रकबा 1.64 हेक्टर पर काबिज काश्त चला आ रहा है। रेस्पोडेंट कम 1 ने गलत तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद प्रस्तुत किया है कि उसे आराजी खसरा नं. 1018 रकबा 21 बीघा 1 बिस्वा में से 11 बीघा 1 बिस्वा आराजी आवंटन हुई है एवं उसे आवंटित की गई आराजी उसके खातेदारी में दर्ज हो गई है तथा नया नम्बर 1315 रकबा 1.39 हेक्टर कायम हुआ है तथा 0.38 हेक्टर भूमि कम दर्ज हुई है जिसकी पूर्ति आराजी खसरा नं. 1314 रकबा 1.64 हेक्टर में 0.04 हेक्टर से एवं अन्य रकबे से की जा सकती है। उक्त त्रुटि सैटलमेंट अधिकारियों द्वारा गलत सैटलमेंट में की गई है जिसे दुरूस्त की जाकर रेस्पोडेंट के खाते में 1.78 हेक्टर भूमि पर खातेदार घोषित किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.12.2018 को पारित निर्णय में तनकी नं. 1, 2, 3 को वादी के पक्ष में निर्णीत की। तनकी नं. 4 इस प्रकार कायम की गई है कि वादी द्वारा सम्पूर्ण भूमि मौका कब्जा अनुसार बेचान की है। वादी के पास खातेदारी में कोई भूमि शेष नहीं है। इसके बाबत न्यायालय में वादी द्वारा कोई स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

वादी द्वारा अपने वादपत्र में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया है कि सरकारी खाता खसरा नं. 35 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा सैटलमेंट से पहले था, किन्तु सैटलमेंट विभाग द्वारा मिलान क्षेत्रफल एवं जमाबंदी अनुसार नये खसरा नं. 45, 46, 47, 50, 51 कायम कर उनका रकबा 0.79 हेक्टर कायम करबढ़ा दिया एवं प्रतिवादी नं. 2 पांचू के भी 0.04 हेक्टर अधिक कर दिया। अतः वादी अपने कमी रबके की पूर्ति उक्त खसरा नम्बर से कराने का अधिकारी है। उक्त तथ्य वादी द्वारा अपने वाद पत्र में अंकित नहीं करने के उपरान्त भी न ही उक्त विषय में कोई तनकी कायम करने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने गैर कानूनी तरीके से निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। न ही उक्त खसरा नं. के खातेदार को पक्षकार बनाये जाने का अवसर दिये बिना उक्त निर्णय पारित करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.2018 निरस्त की जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हमें सुनवायी का अवसर नहीं दिया गया। सरकार के जवाब के आधार पर पत्रावली तनकीयात में नियत कर दी गई। तनकी के साथ ही साक्ष्य में नियत पत्रावली दिनांक 04.01.2018 को उसी दिन प्रतिवादी की साक्ष्य में नियत कर दी गई। दिनांक 26.01.2018 को पत्रावली सीधे ही बहस में नियत कर दी गई। अतः पुनः सुनवायी का अवसर देते हुए पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जावे।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि प्रतिवादी का वकालतनामा लगने के बाद जवाब साक्ष्य की जिम्मेदारी प्रतिवादी की स्वयं की थी। सहवन से भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जमीन ज्यादा खाते लग गयी जिसे दुरूस्त किया । हमारे खिलाफ यह अपील नल एण्ड वोईड हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि रेस्पोडेंट मदनलाल द्वारा वाद प्रस्तुत कर सैटलमेंट के द्वारा कम किये गये रकबे को दुरूस्त करने हेतु कथन किया लेकिन दावे में यह नहीं बताया कि 0.39 हैक्टेयर भूमि की कमी पूर्ति किस खसरा नम्बरान से होनी है। अपीलांट की 0.04 हैक्टेयर के अलावा शेष कमी पूर्ति किस खसरा नम्बरान से होगी, यह अंकित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की गयी उसमें कम हुआ रकबा किन खसरा नम्बरान से पूर्ण होगा यह नहीं बताने से वाद खारिज योग्य है। इस बाबत तनकी नं. 4 बनायी गई।

वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया गया जिससे वादी का कम हुआ रकबा किन खसरा नम्बरान में बढ़ा है, यह सिद्ध हो सके। रेस्पोडेंट वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई नक्शा ट्रेस भी पेश नहीं किया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि खसरा नं. 1315 में कम हुआ रकबे की क्षतिपूर्ति किस रकबे से की जावे। हमारी राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनुमान के आधार पर सिवायचक खसरा नं. 48 से कमी पूर्ति की है जो त्रुटिपूर्ण है। खसरा सं. 48 का उल्लेख ना तो वादपत्र में किया गया है, ना ही तनकीयात में। केवल अनुमान के आधार पर सिवायचक खसरा सं. 48 तथा खसरा सं. 1314 से भूमि की कमी पूर्ति करना त्रुटिपूर्ण है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.2018 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को सुनकर अपील में वर्णित बिन्दुओं का बिन्दुवार निस्तारण करते हुए गुणावगुण, साक्ष्य एवं सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.08.2024 को उपस्थित होवें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19/06/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा